राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा)
शासन सचिवालय, जयपुर।

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांक एफ 1(26)ग्रावि/नरेगा/स.टास्क/2011-12 जयपुर, दिनांक : 29 JUL 2020

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,

समस्त राजस्थान।

विषयः-महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के समय के संबन्ध में।

प्रसंगः- विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 20.04.2020

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की अनुसूची 1 के पैरा 19 के अनुसार 8 घण्टे की कार्य अवधि मय 1 घण्टे के विश्राम काल के निर्धारित है। राज्य में गर्मी के मौसम को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा कार्य का समय प्रातः 6 बजे से 1:00 बजे करने का निर्णय लिया गया था। राज्य में वर्तमान में भी तापमान अधिक है। अतः राज्य में गर्मी की परिस्थितियों को देखते हुए योजनान्तर्गत कार्य का समय पूर्वानुसार यथावत प्रातः 6 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक (विश्राम काल रहित) निर्धारित किया जाता है। यह व्यवस्था दिनांक 15.8.2020 तक प्रभावी रहेगी। इसके उपरान्त कार्यो का समय जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए अपने स्तर से निर्धारित कर सकेंगे।

कार्य समय इस प्रकार निर्धारित किया जावें कि कार्य अवधि 8 घण्टे मय 1 घण्टे के विश्राम काल के हो। विश्राम काल का प्रावधान नही रखने की स्थिति में 7 घण्टे की कार्य अवधि निर्धारित की जा सकती है। इसमें इस बात का भी प्रावधान किया जावें कि यदि कोई श्रमिक समूह समय से पूर्व निर्धारित टास्क के अनुसार कार्य पूर्ण कर लेता है तो वह कार्य की माप मेट के पास उपलब्ध मस्टररोल में अंकित टास्क प्रपत्र में करवाने के उपरान्त एवं समूह के मुखिया के हस्ताक्षर के उपरान्त कार्य स्थल छोड सकता है।

कृपया तद्नुसार कार्यवाही सम्पादित कराना सुनिश्चित करें एवं जारी आदेशों से इस विभाग को भी अवगत कराने का श्रम करें।

भवदीय

(पी.सी.किशन)
आयुक्त, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं मंत्री, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त, ईजीएस।
4. अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम/द्वितीय), ईजीएस, जयपुर।
5. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस, जयपुर।
6. अति.जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त राजस्थान।
7. अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस मुख्यालय, जयपुर
8. सहायक निदेशक (आईईसी), महात्मा गांधी नरेगा मुख्यालय।
9. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
10. विकास अधिकारी, समस्त राजस्थान।
11. रक्षित पत्रावली।

परि.निदे. एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस

Scanned with CamScanner